DR. JINENDRA KUMAR JAIN: I am willing to withdraw... (*Interruptions*)... Sir, I said in the beginning itself that my whole participation...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): Are you withdrawing your Resolution or not?

DR. JINENDRA KUMAR JAIN: I am withdrawing it, but let him at least say that he wants to stand on the side of the shareholders.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): How can he?

DR. JINENDRA KUMAR JAIN: Because it is the shareholders' interest which is more vital to the national economy. By shifting the rights issue, now the entire power is with the management. It should be shifted to the shareholders.

...(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): It is more than enough now. Are you withdrawing the Resolution now?

DR. JINENDRA KUMAR JAIN: Yes, Sir.

The Resolution was, by leave, withdrawn

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): Now I shall put the motion moved by Shri Rameshwar Thakur to vote. The question is:

"That the Bill to repeal the Capital Issues (Control) Act, 1947, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): We shall now take up clause-by-clause consideration of the Bill.

Clause 2 was added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI RAMESHWAR THAKUR: Sir, I move that the Bill be passed.

The question was put and the motion was adopted.

[The Vice-Chairman (Shri H. Hanumanthappa) in the Chair]

STATEMENT BY MINISTER

Special telephone facilities to Freedom Fighters

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI RAJESH PILOT): Mr. Vice-Chairman, Sir, hon. Members are aware that the Department of Telecommunications has so far extended the facility to the freedom fighters to the extent that they are eligible to register themselves for one telephone connection under Non-OYT Special Category. There are other categories of people and institutions also who get this privilege.

On the occasion of the 50th Anniversary of the Quit India Movement, the entire Nation is paying homage to these gallant people. The Prime Minister has already announced on the 8th August 1992 that the Government would continue the process of honouring them and indeed improve it to the best of our ability. As per the Prime Miister's desire, the Department of Telecommunications would also like to honour them in our humble way.

Sir, in this context the Department of Telecommunications has decided to grant, with effect from 15th August 1992, some more facilities to the duly recognized freedom fighters as our homage to these gallant people. Subject to technical feasibility, the freedom fighters will get one telephone connection each on top-most priority; they will not have to pay any installation fees and they will be levied only half the normal rental charges in future.

4.00 P.M.

SHRI JOHN F. FERNANDES (Goa): Sir, it is a commendable statement made by the Communications Minister. This whole House has to compliment the hon. Minister.

Sir, the hon. Minister has stated here that for them the rental charges would be only half the normal rental charges. May I know from the Minister whether he has contemplated any upper ceiling so that this facility is not used by people other than the freedom fighters? (*Interruptions*)

DR. JINENDRA KUMAR JAIN: (Madhya Pradesh): Sir, I welcome this sort of a gesture on the part of the Telecommunications Minister, and I congratulate him.

I have a few clarifications to seek.

He says that the telephone connections will be given only to the recognised freedom fighters. Yesterday, in his speech, the hon. Prime Minister admitted that there were many freedom fighters who had not so far been enrolled on your Government list. How are you going to help such freedom fighters in this year?

Then, about the technical feasibility, it again makes it very arbitrary. I do not know whether it will again be under the control of bureaucrats. The hon. Minister will remember that most of the freedom fighters are now in an age group in which they cannot be expected to go from pillar to post for getting technical feasibility clearance. How does he propose to take care of this question?

Sir, we have shown respect, collectively the country has shown respect, to the freedom fighters. I also want to know whether the hon. Minister would extend the same facility to those who fought against the emergency when democracy was derailed. When democracy was deraled... (*Interruptions*)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. HANUMANTHAPPA): Silence, silence.

DR. YELAMANCHILI SIVAJI (Andhra Pradesh): Let him say it.

DR. JINENDRA KUMAR JAIN: Is the shouting over? *Interruptions*)

श्रीमती सत्या बहिन : (उत्तर प्रदेश) स्वतंत्रता सैनानियों की बात हो रही है (व्यवधान) जो तीर्थ-यात्रा पर गए थे उनको भी मिलेगा या नहीं, वह पूछिए?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. HANUMANTHAPPA): Please conclude. (Time bell rings)

...(*Interruptions*)...

DR. JINENDRA KUMAR JAIN: The people who fought for freedom and the people who fought for restoration of democracy.....

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. HANUMANTHAPPA): That is not covered here. This is only about the freedom fighters.

DR. JINENDRA KUMAR JAIN: I know, I know it (*Time bell rings*)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. HANUMANTHAPPA): Will you please conclude now?

DR. JINENDRA KUMAR JAIN: I am not talking from a partisan point of view. I am very sorry that my constructive suggestion is being taken in a partisan manner. The Minister can say, "No. I recognise only this." It is his prerogative, after all. I am asking only a question, for clarification. The kind of benefit he is giving to those who fought for freedom, will he extend also to those who fought for democracy and restoration of freedom once it was taken away? He can have his viewpoint. But his viewpoint.... (*Time bell rings*)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H HANUMANTHAPPA): Mr. Vithalbhai Patel.

DR. JINENDRA KUMAR JAIN: Last question.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. HANUMANTHAPPA): Last is over.

DR. JINENDRA KUMAR JAIN: No, no.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. HANUMANTHAPPA): I have already rung the bell thrice.

DR. JINENDRA KUMAR JAIN: Sir, I know. I will finish in just a minute. I was interrupted. Last.

While you give such facilities, there are people in the country who feel that they have been further pushed down the line. I would like the hon. Minister to draw up a scheme by which there would be no waiting list. Through you, Sir, I would like to remind the hon. Minister for Telecommunications that once I had discussed a proposal with him. In that scheme, resource mobilisation can take place, with the existing state of our economy, so that there will be no waiting list at all. Why is the Government so.... (*Time bell rings*)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. HANUMANTHAPPA): It does not come under the purview of this statement. You cannot expand the ambit.

DR. JINENDRA KUMAR JAIN: Okay... (*Interruptions*)

SHRI VITHALBHAI M. PATEL (Gujarat): I thank the Minister for providing this facility to freedom fighters. There are a number of freedom fighters who have not registered themselves or who have never asked for the recognition. I can give you the example of Rani Lakshmi. She had worked with Subhash Babu. She was the head of the Women's Army. She has not taken any benefit as a freedom fighter. Suppose she needs a telephone connection. Do you want her to go for a certificate from other freedom fighters or you will directly recognise her and issue a telephone connection? Not only one, there are a number of freedom fighters, including small men like me. I have not taken anything. But, suppose I want a telephone connection, do you want that I should go to the Association of Freedom Fighters? Let me tell you, I am sorry to say that corruption is there even in the Association of Freedom Fighters. They are also taking money from the freedom fighters for issuing the certificate. You find out some solution so that the freedom fighters don't have to beg for a certificate from somebody else. I hope you will find out some solution.

श्री संघ प्रिय गौतम (उत्तर प्रदेश) : मान्यवर, मंत्री जी ने यह कहा है कि हम स्वाधीनता सेनानियों को एक टेलीफोन देंगे। लेकिन क्या स्वाधीनता सेनानी की सिफारिश पर भी किसी को टेलीफोन देंगे?

श्री राम नरेश यादव (उत्तर प्रदेश) : महोदय, मैं इस स्वर्ण जयन्ती के अवसर पर माननीय मंत्री जी ने स्वाधीनता सेनानियों को जिस प्रकार से टेलीफोन की सुविधा देने का सम्मान दिया है, मैं उसके लिए उनको बधाई देना चाहता हूं। एक बात जरूर है, जो बहुत ही कंफ्यूजन पैदा कर रही है और लगता है कि उसमें कहीं न कहीं कोई विलम्ब अवश्य होगा। वह है वक्तव्य में जो आपने लिखा है subject to technical feasibility इसका मतलब यह होगा कि उनको कहीं न कहीं परेशानी का सामना जरूर करना पड़ेगा। यह जो subject to technical feasibility. है, मेरा अनुरोध यह है कि इसको बिलकुल हटा दें। केवल यह कह दें कि एक टेलीफोन की सुविधा जरूर उनको दी जाएगी। इसलिए subject to technical feasibility को हटा दें, यही माननीय मंत्री जी से मेरा आग्रह है।

श्रीमती सत्या बहिन : माननीय उपसभाध्यक्ष जी, अगस्त क्रांति के दिवस पर जो स्वाधीनता सेनानियों को सम्मानित

किया है, उसके लिए पहले तो मैं माननीय संचार मंत्री जी और उप मंत्री जी, दोनों बधाई देना चाहती हूं।

इसके साथ ही मैं यह पूछना चाहती हूं कि अगर कोई स्वाधीनता सेनानी टेलीफोन मांगता है तो मांगने के कितने दिन के अंदर उसके घर में टेलीफोन लग जाएगा, उसमें करंट आ जाएगा, जिससे टेलीफोन से यह कहीं बात कर सकेगा? यह व्यवहारिक बात है। मान्यवर, इसके साथ ही मैं यह भी पूछना चाहती हूं कि उन स्वाधीनता सेनानियों का जिनका स्वर्गवास हो गया है, क्या उनके परिवार को भी इस तरह की कोई सुविधा देंगे? टेलीफोन लगने के बाद यदि किसी स्वाधीनता सेनानी का देहान्त हो जाता है तो क्या इंस्टालेशन चार्जेज उसके परिवार से वसूल करेंगे या यह सुविधा उनको जारी रहेगी?

मान्यवर, मैं यह भी पूछना चाहती हूं कि क्या स्वतंत्रता सेनानी देश भर में कहीं पर भी अपने नाम टेलीफोन ले सकता है या फिर केवल अपने घर पर ही जहां का उसका एड्रेस है? क्या उसको एस०टी०डी० सुविधा दी जाएगी और ट्रंक काल की दरें क्या होंगी? इसके साथ ही मैं यह भी पूछना चाहती हूं कि इसका आधार क्या होगा? क्या ताम्र-पत्र प्राप्त करने वालों को यह सुविधा दी जाएगी या पेंशन पाने वालों को दी जाएगी या फिर उन लोगों को जो स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेते रहे हैं लेकिन उन्होंने पेंशन भी प्राप्त नहीं की है और न ही उनको ताम्र-पत्र मिला है? क्या सजा की अवधि को ध्यान में रखकर दिया जाएगा, मैं यह पूछना चाहती हूं। धन्यवाद।

श्री सुरेश पचौरी (मध्य प्रदेश): माननीय उपसभाध्यक्ष जी, भारत छोड़ो आंदोलन के स्वर्ण जयन्ती वर्ष पर संचार मंत्री जी ने जो अभिनन्दनीय निर्णय किया है, उसके लिए वे बधाई के पात्र हैं।

मैं यह जानना चाहूंगा कि जो संस्थापना शुल्क नहीं देने का निर्णय किया है और साथ ही सामान्य किराया प्रभार केवल आधा लिये जाने का जो बहुत सराहनीय निर्णय किया है, इसका विभाग पर वित्तीय आकलन कितना पड़ेगा? उसकी जानकारी कृपया मंत्री जी दें, यह मैं जानना चाहता हूं। दूसरा स्वतंत्रता सेनानी के परिवार के कम से कम एक सदस्य के लिए क्या ये अपने विभाग में नौकरी देने के लिए कुछ प्रतिशत आरक्षण फिक्स करेंगे। माननीय मंत्री जी सरकारी फैसले के मामले में अव्वल दर्जे पर आते हैं कि कोई भी महत्वपूर्ण शासकीय निर्णय जब होते हैं तो सबसे पहले वे निर्णय लिया करते हैं और आज जो उन्होंने निर्णय लिया है वह भी बड़ा महत्वपूर्ण और सराहनीय निर्णय है। मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि अभी जो यह आधा किराया शुल्क लेने का निर्णय किया है, क्या इसमें कुछ विशेष छूट स्वतंत्रता सेनानियों को मंत्री जी देने की कृपा करेंगे। साथ ही विभिन्न संभागीय स्तर और जिला स्तर पर जो टेलीफोन ऐडवाइजरी कमेटी माननीय मंत्री जी ने गठित की है, क्या उसमें आवश्यक रूप से संशोधन करेंगे कि कम से कम एक स्वतंत्रता सेनानी, उस डिस्ट्रिक्ट और डिवीजनल लेवल की कमेटी में आवश्यक रूप से हो?

श्री एस० एस० अहलुवालिया (बिहार): उपसभाध्यक्ष महोदय, दूर संचार विभाग के मंत्री महोदय ने एक अच्छा निर्णय लिया है जब हम स्वर्ण जयंती मना रहे हैं पर दुर्भाग्य इस बात का है कि जब हम देखते हैं कि 50 वर्ष बाद भी अभी तक स्वतंत्रता सेनानी लोक नायक भवन के बाहर अपनी पेंशन का मांगपत्र लेकर खड़ा रहता है और आजादी के बाद पैदा हुआ एक इंसान जो अफसर बनकर बैठा है वहां, वह उसे अंदर तक घुसने नहीं देता। मैं यह जानना चाहूंगा कि आपने ये तो ले लिया, केंद्रीय सरकार के पास बहुत सारे मामले अभी भी लंबित हैं और जो डेट फिक्स की गई थी स्वतंत्रता सेनानियों को ऐप्लीकेशन देने की, उस वक्त बहुत लोगों ने भावना में बहकर ऐप्लीकेशंस नहीं दी थी, उसके

[श्री एस० एस० अहलुवालिया]

बाद ही थीं। महोदय, राज्य द्वारा वे सम्मानित हैं किंतु केंद्रीय सरकार द्वारा सम्मानित नहीं हैं। राज्य सरकार से उनको पेंशन मिलती है, राज्य सरकार से सारी सहूलियतें मिलती हैं किंतु केंद्रीय सरकार के लोक नायक भवन में उनकी फाइलें कोल्ड स्टोरेज में पड़ी हुई हैं और निकल नहीं सकतीं। उनके बारे में आपका क्या निर्णय है? क्या आप राज्य सरकारों द्वारा प्रमाणित लोगों को भी टेलीफोन का कनेक्शन देंगे कि नहीं देंगे, यह बताने की कृपा करें।

श्री शिव प्रताप मिश्र (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय, अंग्रेजों भारत छोड़ो की स्वर्ण जयंती के अवसर पर माननीय संचार मंत्री ने जो स्वतंत्रता सेनानियों को दूरभाष की सुविधा देने की महत्वपूर्ण घोषणा इस सदन में की है, उसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं। लेकिन मेरा सवाल है कि ऐसे स्वतंत्रता सेनानी हैं जिनका किसी कारण से न तो नाम का पंजीकरण हुआ है, न उनको पेंशन मिली है, न उनको ताम्र-पत्र मिला है। क्या उनकी पहले सूची बनाकर उनको भी यह सुविधा देने के लिए वह तत्पर रहेंगे?

दूसरा मेरा सवाल यह है कि जो सांसद स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं और जो अभी भी सांसद हैं, उनका जो शुल्क तय किया गया है, क्या उनका भी आधा शुल्क माफ किया जाएगा?

तीसरा मेरा सवाल यह है कि जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, मैं जानता हूं इलाहाबाद में कुछ मर गए, उनको रोटी नहीं मिली, अगर उनमें से कुछ जीवित हैं तो क्या उन्हें टेलीफोन के लिए जो आधा शुल्क देना है, जिनके पास सुविधा नहीं है, उनको इससे भी मुक्त किया जाएगा क्योंकि उन्होंने भारत को गुलामी से मुक्ति दिलाई थी।

चौथा मेरा सवाल यह है कि जो सांसदों को प्राथमिकता के आधार पर टेलीफोन मिलता है, क्या वह कुछ समय के लिए स्थगित किया गया है क्योंकि मैंने ही खुद टेलीफोन राजस्थान में दिया है लेकिन वहा के अधिकारियों ने कहा है कि वहां अभी देना स्थगित किया है।

SHRI JAGESH DESAI (Maharashtra): Mr. Vice-Chairman, Sir, today I am very much overwhelmed by emotion. I am one of the persons who had taken part in the Movement 50 years ago. At that time, none of us thought that we would be rewarded. Yesterday, some other facilities to freedom fighters were annouced by the Maharashtra Government; pension was raised; medical aid was raised to Rs. 5,000/-. I am happy that the Central Government has come forward to extent another benefit today. Not that we wanted these rewards. But the Government has recognised our struggle.

I would like to bring to the notice of the hon. Minister a particular aspect of the matter. I have some knowledge of the working of the Telephone Department. I think eight unused. So, there should not be any per cent of the lines are always kept question like technical feasibility. I request the Minister to issue immediate orders that those lines are reserved for freeom fighters. As soon as they make applications, they should get them.

The Government has taken very good decisions regarding the National Museum to depict the freedom struggle and the August Kranti Park, Udyan, near the India Gate. I am overwhelmed by the good decisions of the Government and I thank the Government very much. I hope it will take more of such actions by which reeedom fighters will feel that the Government has not forgotten them.

Thank you.

SHRI S. S. SURJEWALA (Haryana): Mr. Vice-Chairman, I congratulate the hon. Minister for Com-

munications on taking the lead to provide privileges to the freedom fighters on this solemn occasion. Sir, the Minister of State for Home Affairs and Deputy Leader of the House is also there. Through you and through him, I would like to ask whether the other departments and ministries are going to emulate the example set by the Communications Minister.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. HANUMANTHAPPA): How can you? The clarification sought for should arise out of the statement.

SHRI S. S. SURJEWALA: I am coming to the question. Though this question has been asked *in extenso* by other hon. Members, I would also like to know whether the widows freedom fighters and their dependents will also be given this privilege. The widow of a freedom fighter now will be naturally of a very, very old age and may not have anybody to look after her. In that event, will the widow of the freedom fighter also get this privilege?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. HANUMANTHAPPA): Shri Moturu Hanumantha Rao.

SHRI PRAGADA KOTAIAH: Sir, give me only one minute.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. HANUMANTHAPPA): I will have to call you. Now, Mr. Hanumantha Rao.

SHRI MOTURU HANUMANTHA RAO (Andhra Pradesh): Mr. Vice-Chairman, Sir, on this auspicious occasion, our Home Minister should have come forward to clear the pending applications for penions. They are a dwindling category because many of them are aged 80 years, 85 years and even more than that. But still, the applications are pending...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. HANUMANTHAPPA): They have already made this point.

SHRI MOTURU HANUMANTHA RAO: Why should not the Government take the opportunity of his occasion and grant them pension? That is my point. I am sure Mr. Jacob will react to this.

श्री शिवचरण सिंह (राजस्थान) : माननीय उपसभाध्यक्ष जी मैं माननीय संचार मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों के इतने दिनों के बाद याद किया है। लेकिन मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि ये जो टैक्निक फिजिबिलिटी बनाई है टेलीफोन में यह सबसे बडा रोडा है और स्वतंत्रता सेनानियों के यहां कभी टेलीफोन नहीं लगेंगे और वे करेंगे कि फिजिबल नहीं है कनेक्शन हो नहीं सकता। एक तो इस वर्ड को हटाइए। दूसरे इन्होंने यह कहा—लेवीड ओनली आफ द नार्मल रेटस चार्जेज तो हाफ का क्या मतलब है। उन लोगों को फ्री क्यों नहीं दिया जा सकता जबकि सारे लोग सत्ताधारी दल के लोग इसका दुरुपयोग करते हैं। मेरा कहना है कि स्वतंत्रता सेनानियों को फ्री दिया जाना चाहिए।

श्री वीरेन्द्र कटारिया (पंजाब) : जनाब वाइसचेयरमैन साहब, संचार मंत्री साहब ने जो स्टेटमेंट दिया है कि आजादी के जो देश छोडी की तहरीक के बाहदुर थे उनको टेलीफोन दिया जाए तो मैं उनकी सराहना करता हूं और उनकी इस काम के लिए तारीख करता हूं। लेकिन जो सुविधा उनको दी गई है उसमें इफ एंड बट लगाए गए हैं, जैसे आधा रेट लिया जाएगा और टेक्नीकल फिजिबिलिटी को बात कहीं हैं। इससे बात बेमानी हो जायेगीं क्योंकि आज के जमाने में हम लोग दखत हैं कि टेक्नीकल फिजीबिबिटी के नाम पर जिनको मिलना चाहिए उनको टेलीफोन आजतक नहीं मिला। उन्होंने एक साल नहीं सालों साल इसके लिए इंतजार किया है। मेरी दर्खास्त है संचार मंत्री जी से कि जो ये अलफाज इस्तेमाल किए है कि इनको अगर टेक्नीकल फिजिबिलिटी हो तब दिया जाए मैं कहूंगा इसकी जगह यह व्यवस्था की जाए कि उनको तुरन्त टांप प्रियोरिटी पर टेलीफोन

[श्री वीरेन्द्र कटारिया]

दिया जाए और जो आधा रेट की बात कही है उसको बिल्कुल हटा दिया जाना चाहिए । इसके अलावा जो फार्स्ट फैमिली मैम्बर हैं, जब तक उनको विडो जिंदा है या उसका लडका या लडकी जिन्दा है फर्स्ट डिग्री डिसेंडेंट भी यह सुविधा दी जानी चाहिए तब तक हम सही माने में जो हीरो हैं आजादी के उनको सही रिकोगनिशन दे सकेंगे ।

SHRI GOPALSINH G. SOLANKI (Gujarat): Sir, it was the policy of the Government to provide a telephone connection in each Panchayat throughout the country up to... (*Interruptions*)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. HANUMANTHAPPA): You come to the freedom fighters.

SRI GOPALSINH G. SOLANKI: I congratulate the hon. Minister for having introduced this scheme to provide one telephone connection to a recognised freedom fighter. I want to know from the Minister in how much time he is going to provide these telephone connections to those freedom fighters who are living in remote areas, in rural areas, where there is no possibility of providing the same. Are you going to introduce a special line for them or not?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. HANUMANTHAPPA): Dr. Yelamanchili Sivaji. I am sorry. I looked at your seat but you were not there.

DR. YELAMANCHILI SIVAJI: Whatever it is I am glad not only that you allowed me to speak but the Minister also allowed telephones to the freedom fighters. (*Interruptions*)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. HANUMANTHAPPA): Those who are not present in their seats, I put a cross against their names and leave their names. (*Interruptions*)

DR. YELAMANCHILI SIVAJI: I would like to suggest, let it be confined to those freedom fighters who were born earlier than 1947. It should be confined to those freedom fighters who were born earlier than 1947 and not later.

SHRI MENTAY PADMANABHAM (Andhra Pradesh): But there are freedom fighters who were born after 1947. That is the point you wanted to make. (*Interruptions*) Certificates are there. They are given pension, they are given land, they are given facilities and a lot of other things, which are meant for freedom fighters. False certificates are given by very, very big people.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. HANUMANTHAPPA): Mr. Padmanabham, I have called Dr. Sivaji. You cannot substitute him. It is his personal right.

DR. YELAMANCHILI SIVAJI: Anyhow, he is our leader.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. HANUMANTHAPPA): They you sit down.

DR. YELAMANCHILI SIVAJI: As far as the problem of technical feasibility is concerned. I am afraid Mr. Rangayya Naidu. and the Minister of State for Civil Supplies and Public Distribution, are going to face a problem on this count. Their constituencies are having thousands and thousands of freedom fighters, whether they are true, fake or whatever it is. I would like to advise them to be cautious in this regard. It would have been better if the Congress party, being the major party not only at the Centre, but in several States, had come out with a statement or a resolution on the eve of the 50th anniversary of the Quit India Movement, to allocate a certain percentage of posts among selected jobs to the freedom fighters. The freedom fighters sacrificed a lot for the sake of the country and the fruits are being enjoyed by those who are sitting in office... (*Interruptions*)

SHRI JAGESH DESAI: I object to his observation. Those who have

taken part in the freedom movement. I mean a person like me, I never thought that I should be given any reward. And he talks about fruits. We don't want that word to be uttered by a Member.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. HANUMANTHAPPA): Dr. Sivaji, will you confine to telephones?

DR. YELAMANCHILI SIVAJI: No, no; what I mean to say...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. HANUMANTHAPPA): If you are not confining, then I will have to stop you.

DR. YELAMANCHILI SIVAJI: Had the Congress Party come out with a proposal of reserving certain percentage of elected posts for the freedom fighters, it would have been more meaningful and better.

श्री राधाकिशन मालवीय (मध्य प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय, संचार मंत्री जी धन्यवाद के पात्र हैं कि स्वतंत्रता आन्दोलन में जिन फ्रीडम फाइटर्स ने भाग लिया उनको सुविधायें देने जा रहे हैं । यह काम तो पहले करना चाहिए था, परन्तु ठीक है, देर आये दुरुस्त आये । इस अवसर पर मैं यह पूछना चाहता हूं कि स्वतंत्रता आन्दोलन में जिन फ्रीडम फाइटर्स ने भाग लिया और आन्दोलन के दौरान ये मारे गये और आज उनकी पत्नियां जिन्दा हैं, क्या उनकी पत्नियों को भी यह टेलीफोन की सेवा सुविधा प्रदान करेंगे ? दूसरा प्रश्न मैं यह पूछना चाहता हूं कि फ्रीडम फाइटर की मृत्यु हो जाने के बाद इस टेलीफोन कनेक्शन को रिइंस्टेट करने के लिए क्या कानूनी कार्यवाही होगी और किस ढंग से टलीफोन उनके वारिशों को दिया जाएगा । तीसरी बात यह है कि हमारे बहुत से फ्रीडम फाइटर्स दूर-दराज के गांव में रहते हैं जहां पर दो-दो और तीन-तीन डिजिट के टलीफोन नम्बर होते हैं और व टलीफोन हमारे देश में हमारी निगाह में काम नहीं करते हैं, इसलिए इसके साथ क्या उनको भी दुरुस्त करने की कोई योजना चलाएंगे ?

श्री छोटूभाई पटेल (गुजरात) : महोदय, सरकार ने जो यह निर्णय लिया है, मैं उसका स्वागत करता हूं और स्वातंत्रा सेनानियों के सम्मान के लिए हम जो कुछ कर रहे हैं वह इससे भी ज्यादा करना चाहिए । मगर एक बात मैं कहूंगा कि सामान्यतः फ्रीडम फाइटर देहातों में रहते है, अरबन एरियाज में कम रहते हैं और देहातों की जो सिचुएशन इसमें लिखी गई है वह यह है--

"Subject to technical feasibility."

इस तरह से बहुत से आबस्टेकल्स हैं और हम तो चाहते हैं कि स्वतंत्रा सेनानियों को टेलीफोन कनेक्शन दिए जाएं, मगर इस वजह से नहीं दे पायेंगे । दूसरी चीज यह है कि बहुत से टेलीफोन एक्सचेंज फ्रीज हो गए है और इसकी वजह से भी नहीं दे पायेंगे । जिस एरिया से मैं आता हूं उस एरिया में करीबन सौ के आस पास स्वतंत्रा सैनिक हैं इनमें से एक सैनिक को भी हम टेलीफोन नहीं दे पायगे । यह मैं आज की स्थिति के बारे में कहा रहा हूं । इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि इस बारे में क्या आबस्टेकल्स हैं और उन आबस्टेकल्स को दूर करने के लिए क्या आप कोई प्लान बना रहें हैं ?

डा० अबरार अहमद (राजस्थान) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह कहना चाहता हूं कि स्वतंत्रता सैनानी स्वाभिमान चाहते हैं । अगर उनका स्वाभिमान जिन्दा है तो वे यह मानकर चलते है कि दुनिया में प्रत्येक चीज उनको मिल गई है । माननीय मंत्री जी ने कुछ उनको दिया उसके लिए मैं उन्हे बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं । लेकिन एक बात जानना चाहता हूं कि जो आर्थिक स्थिति हमारे स्वतंत्रता सैनानियों की है वह न उनसे छिपी हुई है और न ही आपसे छिपी हुई है, इसलिए क्या जिस प्रकार से रेलवे में 65 साल से ज्यादा उम्र के व्यक्ति को टिकट में कंसेशन दिया जाता है उसी प्रकार से स्वतंत्रता सेनानियों को भी काल के रेट में कोई प्रतिशत रियायत दी जाएगी ?

*SHRI JAGIR SINGH DARD (Punjab): First, I congratulate the Minister for making the statement,

*English translation of the speech delivered in Punjabi.

[Shri Jagir Singh Dard]

And also I want to know what you are going to do about the poor and middle class people who participated in the freedom movement and who do not have any houses. Secondly. there are some places which are far away from the telephone exchange. For example. I live in a village which is about 50 kms. away from the telephone exchange. In such cases is there any proposal to provide new lines?

श्री विनोद शर्मा (पंजाब) : महोदय, जिसके पास नहीं है, टेलीफोन लगाने के लिए उनके लिए क्या मकान बनाकर देंगे ?

SHRI PRAGADA KOTAIAH (Andhra Pradesh): Thank you for giving me an opportunity to speak on this subject. At the outset, I would like to congratulate the Minister for giving certain concessions to the freedom fighters. But I don't think all the freedom fighters now require telephone connections. There are many people who are having not only one connection, but many more telephone connections. There are certain classes of freedom fighters who are very poor, who are not having food, not even one square meal. What are we going to do for them? That is the necessary part; that is the essential thing the Government will have to consider. Sir, you know Andhra Kesari Prakasam Pantulu. He sacrificd all his belongings and all his life for the nation. His family is very poor and they are actually suffering and starving. When I wrote to the Government of India and the State Government, generously the then Prime Minister gave a sum of Rs. 10,000. Is it going to help them? *(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. HANUMANTHAPPA): Mr. Kotaiah, listen to me. *(Interruptions)*... Please, sit down. *(Interruptions)*... This is not a discussion on freedom fighters' benefits.

SHRI PRAGADA KOTAIAH: Will you please allow me?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. HANUMANTHAPPA): I am not allowing you. *(Interruptions)*... I am not allowing you. You cannot go on speaking whatever you want to speak. *(Interruptions)*... I am not allowing you. *(Interruptions)*... Please understand the subject. Mr. Kotaiah please sit down. *(Interruptions)*...

SHRI PRAGADA KOTAIAH: I am a freedom fighter. You allow me.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. HANUMANTHAPPA): I will allow you, but you understand the subject first. *(Interruptions)*... Mr. Kore, let him understand the subject first. Don't disturb him. Mr. Kotaiah, this is a statement made by the hon. Minister giving a telephone connection You have to seek clarifications on that statement. not explaining the subject.

SHRI PRAGADA KOTAIAH: Yes, Sir. I am not going out of way. What I would like to submit is that there are very poor freedom fighters. Their children are not finding any jobs. What I would like the hon. Minister to do is to provide a percentage of job for freedom fighters' children....

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. HANUMANTHAPPA): We can do that.

SHRI PRAGADA KOTAIAH: ... who are jobless. (Interruptions)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. HANUMANTHAPPA): Yes, Mr. Minister.

SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA (Uttar Pradesh): Mr. Vice-Chairman,...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. HANUMANTHAPPA): I am sorry. I called your name but you were not present. What you wanted to ask, perhaps, twenty people have already asked.

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : महोदय, पहले तो मैं आभार प्रदर्शित करता हूं और क्या यह पूर्ण रूप से प्रभावी होगा या नहीं, यह मेरा निवेदन है ? दूसरा, मान लीजिए कि आज फ्रीडम फाइटर के पास टेलीफोन कनेक्शन है उसका रेंटल चार्ज भविष्य में आधा हो जायेगा, तो मैं जानना चाहता हूं कि जो काल के रेट्स हैं क्या उसमें भी उनको यह सुविधा दी जायेगी ?

उपसभाध्यक्ष (श्री हेच० हनुमन तप्पा) यह भी पूछा गया है ।

श्री राजेश पायलट : उपसभाध्यक्ष, जी, पहले तो मैं सभी माननीय सदस्यों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं जो उन सब ने सरकार के जजबात से अपने को जोड़ा । अगर आप स्टेटमेंट पढ़ें तो पायेंगे कि इसके पीछे एक भावना है और वह भावना आदर की भावना है । इस भावना के साथ यह भी देखा गया है कि वह पूरी तरह से लागू भी हो जाये । सिर्फ भावना ही दिखे, वह लागू न हो, यह भी ठीक नहीं रहेगा । मैंने महसूस किया कि सदन में फिजिबिलिटी रिपोर्ट से सब को आबजेक्शन है कि कहीं इससे हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को तंग न किया जाये । जब यह लफ्ज आया तो मेरे मन में यही बात थी जो माननीय सदस्यों ने कही है । लेकिन जब मैंने यह देखा कि आज यह अनाउन्समेंट होगा तो हमारे स्वतंत्रता सेनानी, जहां से टेलीफोन एक्सचेंज 60 मील, 70 मील की दूरी पर है, कहे कि हमें टेलीफोन चाहिये, तो अगर फिजिबिलिटी हम नहीं देखेंगे, तो इसको पूरा नहीं कर पायेंगे और हमारी सारी भावना गलत तरीके से देखी जायेगी । हालांकि हमारे स्वतंत्रता सेनानी, अगर यह लगने में देर लगेगी तो बुरा नहीं मानेंगे । दूसरा कि कई टेलीफोन एक्सचेंज फ्रीज हो गये लेकिन यहां कुछ भी नहीं होगा । जैसा कि माननीय सदस्यों ने कहा कि 8 प्रतिशत रखते हैं । रखते हैं जरूर रेशियो लेकिन जिस तरह से यह फैल रहा है, इससे इसका रेशियो भी कम होगा । किसी का काटकर स्वतंत्रता सेनानियों के यहां लगायेंगे तो इसको कोई भी स्वतंत्रता सेनानी नहीं चाहेगा ।

इसलिए मैंने फीजिबिलिटी वाली बात रखी है । अगर सदन यह महसूस करता है कि यह गलत है तो मैं उसको उठाने के लिए तैयार हूं । इसके पीछे एक भावना है । अगर आप कहें कि फीजिबिटी निकाल दो तो मैं निकालने के लिए तैयार हूं । (**व्यवधान**) सदन को मैं यह विश्वास दिलाऊंगा कि जिस भावना से स्टेटमेंट दिया है, उसी भावना से आदेश दे कर लागू किया जाएगा । यह आप पूरा भरोसा रखिये । दूसरी बात उन्होंने यह कही है कि उनका टी०ए०सी० में होना जरूरी है । मैं इस बात को मानता हूं और मैं आज ही आदेश दूंगा कि टी०ए०सी० में एक नहीं दो दो फ्रीडम फाइटर्ज को रखें जिससे यह अपने विचार रख सकें । (**व्यवधान**)

श्री आर० के० धवन (आन्ध्र प्रदेश): जो चल-फिर सकते हों उनको ही रखिये ।

श्री राजेश पायलट : तीसरी बात, ज्यादातर यह कहा गया है कि स्टेट्स से हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनको सहूलियतें हैं लेकिन केन्द्रीय सरकार की तरफ से उनको नहीं हैं । सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होने के नाते हम सेंट्रल गवर्नमेंट की नीति के अनुसार चलने के लिए बाध्य हैं । मैं होम मिनिस्ट्री से खुद प्रार्थना करूंगा कि केसों को जल्दी निपटा कर लिस्ट फाइनल की जाए, जैसे कि कई सदस्यों ने भी कहा है । जब तक यह लिस्ट नहीं हो केन्द्र सरकार का विभाग होने के नाते जो हमारी केन्द्र सरकार लिस्ट को मंजूरी देगी, जो भी होम मिनिस्ट्री की लिस्ट होगी और जो प्रिविलेजेज़ जिसको दिये जाए जैसे पेंशन फ्रीडम फाइटर्ज की वाइफ ले रही है, उनकी विधवा ले रही है तो उनको यह फेसिलिटी दी जाएगी । चौथी बात यह कही गई कि जैसे फ्रीडम फाइटर को टेलीफोन मिल गया उसके बाद उसकी डेथ हो गई तो उसके बाद उनके परिवार का कोई सदस्य रख सकता है ? फ्रीडम फाइटर की विधवा या उनका परिवार यदि टेलीफोन को रखना चाहते हैं तो वह रख सकते हैं लेकिन उनको रेंटल या दूसरी सुविधा खत्म हो जाएगी । मैंने खुद 9 अगस्त से पहले कई बार स्वतंत्रता सेनानियों से बात की, मैं उनसे मिला भी

हूं । उनका मन यह था कि थोड़ा-बहुत लेना जरूरी है क्योंकि फ्री वह लेना नहीं चाहते थे, उनकी फीलिंग हर्ट होगी, इसलिए उस भावना को दिल में रख कर आधा रेंटल रखा है । इससे उनकी भावना भी पूरी रह जाएगी और सरकार का जो मन है उनका आदर करने का वह भी पूरा हो जाएगा । यह उनसे सोच समझ कर के बातचीत करके किया गया है । काल वाली बात भी आई कि कुछ काल्ज फ्री कर दो । वह खुद कहने लगे कि पायलट साहब इससे हमारे घर पर रोज भीड़ रहा करेगी कि तुम्हारा बिल फ्री है इसलिए हमें टेलीफोन करने दो । काल फ्री करवाना वह नहीं चाहते थे । मैं तो उनकी भावना का आदर करता हू कि कितनी सच्चाई के साथ उन्होंने साफ बात कही कि हम जितनी काल्ज करेंगे उसके पैसे देंगे । यह तो हमारी भावना थी कि फ्रीडम फाइटर भी कभी कभी एक दूसरे से बात कर लिया करें । जो उनके सहयोगी रहे हैं कभी मन आया तो उनसे बात कर लें, कोई पुरानी बात याद आ गई तो टेलीफोन कर के पूछ लें । कभी यह पूछ लें कि आपके बच्चे कैसे हैं, मेरे बच्चे कैसे हैं, इसके पीछे सम्पर्क जोड़ने की भावना थी । मैं माननीय सदस्यों का आभारी हू कि उन्होंने अपने जज़बात प्रकट किये । जहां तक उनके बच्चों को नौकरी की बात है, यह भावना मैं होम मिनिस्टर तक पहुचाऊंगा । हम पूरी कोशिश करेंगे कि अपने स्वतंत्रता सेनानियों को आज 50वीं वर्षगांठ में ज्यादा से ज्यादा सम्मान दे सकें, मदद कर सकें । बहुत बहुत शुक्रिया ।

श्री राधाकिशन मालवीय : एक बात का जवाब नहीं दिया । आन्दोलन के समय जो फ्रीडम फाइटर मारा गया, मरा नहीं, मारा गया, उसकी पत्नी अगर जिन्दा है तो क्या उसको यह सुविधा होगी ?

श्री राजेश पायलट : -अगर वह पेंशन ले रही है तो उनकी सुविधा होगी ।

श्रीमती सत्या बहिन : मंत्री जी, एक बात मैं पूछना चाहती हू जो फ्रीडम फाइटर्ज गांव में रह रहे हैं मान लीजिये, शहर में आ कर बस गये हैं, सेटल हो गये हैं, दिल्ली या बम्बई में आ गये हैं क्या उनको यह सुविधा गांव में ही दी जाएगी (**व्यवधान**)

श्री राजेश पायलट : उपसभाध्यक्ष महोदय, फ्रीफाइटर्ज जहां पर भी रह रहे हैं, जहां वह चाहेंगे, उनको यह सुविधा मिलेगी । जब इज्जत दे रहे हैं तो उसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है । फ्रीडम फाइटर अगर दिल्ली में रहेगा तो दिल्ली में सुविधा दी जायेगी, बम्बई में रहेगा तो वहां दी जाएगी ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. HANUMANTHAPPA): Now we will take up Special Mentions.

SPECIAL MENTIONS

Payment of compensation for acquisition of land for Indian Police Academy, Hyderabad

श्री संघ प्रिय गौतम (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं अपने विशेष उल्लेख के द्वारा भारत सरकार का विशेष रूप से गृह मंत्री जी का ध्यान एक सनसनीखेज समाचार जिससे बहुत बड़ा अहित जनता का और भारत सरकार का होने जा रहा है, की ओर आकर्षित करना चाहताहूं ।

मान्यवर, कुछ समय पहले भारत सरकार ने भारतीय पुलिस अकादमी के लिए हैदराबाद में, हैदराबाद-बंगलौर राष्ट्रीय राजमार्ग पर आन्ध्र प्रदेश सरकार के द्वारा जमीन अध्यापित की थी और उस जमीन का मुआवजा 25 लाख रुपये स्टेट की तरफ से कम्पेनसेशन अधिकारी द्वारा तय किया गया था । बताया यह जाता है कि शुरू में यह जमीन निजाम हैदराबाद की समझी गयी थी और सरकारी जमीन समझ कर इसको अध्यापित किया गया था । लेकिन बीच में इसके दो क्लेमेंट श्री लाल गिरिजी और श्री महेश गिरिजी और उनके बाद उनके उत्तराधिकारी श्री जितेन्द्र गिरिजी आ गये । उन्होंने कहा कि यह जमीन हमारी है और उनके नाम 25 लाख रुपये का कम्पेनसेशन तय हुआ । मगर उन लोगों ने आन्ध्र प्रदेश सरकार के पूर्व मुख्य सचिव को पहुंच कर इस मुआवजे को इन्हैंस कराना चाहा । कायदे से मुआवजा हमेशा कोर्ट के जरिये, अगर रेफरेंस हो जाता है जिला जज को, तब इन्हैंस होता है ।